

न्यायालय- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के
अतिरिक्त न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय चंदेरी, अशोकनगर (म.प्र.)
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन स्थानीय
क्षेत्राधिकारिता में उद्भूत आपराधिक प्रकरणों के विचारण हेतु सशक्त)
(पीठासीन अधिकारी -सैफी दाऊदी)

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक- 23/2017

संस्थित दिनांक- 01.07.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- अभियोजन

-विरुद्ध-

जीवन उर्फ जीवनलाल पुत्र देवलाल
आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम मूढौन चौकी
खोड़ थाना भौती जिला शिवपुरी (म.प्र.)

- अभियुक्त

अभियोजन द्वारा :- श्री मुकेश सिंह राजपूत अपर लोक अभियोजक ।
अभियुक्त द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता ।

आदेश

(अन्तर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(दिनांक को घोषित)

1- भा.दं.वि. की धारा 366, 376(2) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 15.03.16 के दिन के लगभग 11 बजे ग्राम मोहनपुर थाना चंदेरी के अंतर्गत बालिका व्यथित जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होकर वह अवयस्क थी, का उससे विवाह करने एवं इस आशय से अयुक्त संभोग के लिए विवश/विलुब्ध की जायेगी, उसके पिता की वैध संरक्षकता से व्यवहरण किया तथा बालिका के साथ कई बार लैंगिक प्रवेशन हमला करके गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला किया तथा बालिका के साथ कई बार संभोग करके बलात्संग किया ।

2- घटना के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

3- अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी सीताराम निवासी मोहनपुर ने अपनी पत्नि प्रभाबाई के साथ पुलिस थाना चंदेरी पर दिनांक 17.03.16 को उपस्थित होकर दिनांक 15.03.16 को कारित हुई घटना के संबंध में अभियुक्त जीवन को नामित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित करवाई

कि, अभियोगी तथा उसकी पत्नि दिनांक 15.03.16 को सुबह 9 बजे करीब गेहूं काटने की मजदूरी करने गये थे घर पर उनकी बच्ची व्यथित आयु 16 वर्ष तथा दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गये थे और शाम को सातबजे जब वह अपने घर आये तो उन्हें उनकी लड़की व्यथित घर पर नहीं मिली उसे तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला और अगले दिवस यह मालूम हुआ कि जीवन झां निवासी भूढोन जिला शिवपुरी व्यथित को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया और अभियोगी को खुशबू बस के कंडक्टर ने उक्त सूचना दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित किये जाने के पहले प्रदर्श पी 1 की गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी पर गुमशुदा इंसान क्रमांक 10/16 सान्हा क्रमांक 045 दिनांक 17.03.16 पुलिस थाना चंदेरी पर अंकित किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित करने के पश्चात् अनुसंधान दौरान व्यथित व्यथित के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन अंतर्गत धारा 164 दंप्रसं. अंकित कर अभियोगी की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 अंकित कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर और व्यथित तथा अभियुक्त जीवन लाल का मेडीकल परीक्षण व एक्सरे संपन्न कराये जाने की कार्यवाही कर और अभियुक्त जीवनलाल एवं व्यथित व्यथित से संबद्ध उनकी निज वस्तुएं बरामद कर जप्ती पत्रक अभिलिखित कर व इस व व्यथित को अभियोगी सीताराम की संरक्षकता में प्रदर्श पी 4 के पंचनामा द्वारा सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी 5 अभिलिखित करने की कार्यवाही कर व व्यथित की आयु से संबंधित शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर चंदेरी द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र अभिलेख संलग्न कर अभियोगी तथा अन्य साक्षीगण के कथन अभिलिखित कर व अभियुक्त व व्यथित से जप्त वस्तुओं को फोरेंसिक जांच हेतु भेजने की कार्यवाही करते हुए व अनुसंधान की अन्य कार्यवाहियां संपन्न करते हुए अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि सह पठित धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 366 एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्पतः धारा 376(2) भादवि. के अपराध के आरोप विरचित किया गया, जिसे अभियुक्त ने अस्वीकार कर विचारण का दावा किया।

5- न्यायालय के समक्ष अभियोगी तथा उसके संरक्षक माता पिता के कथन से अभियुक्त के विरुद्ध उसकी दोषसिद्धि प्रमाणन हेतु कोई प्रबल साक्ष्य मुख्य परीक्षण में तथा उनसे पूछे गये सूचक प्रश्नों के उत्तर में प्रकट नहीं किये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति अभिलेख पर प्रकट नहीं हुई, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त से लिया जाना आवश्यक हो। अतः अभियुक्त परीक्षण संपन्न नहीं किया गया।

6- इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

अवधारणीय प्रश्न

- (1) क्या अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवयस्क व्यथित का व्यपहरण कारित किया ?
- (2) क्या अभियुक्त न प्रश्नगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवयस्क व्यथित को वैध संरक्षकता से हटाने के उपरांत उसके साथ कई बार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

विकल्पतः

क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कई बार संभोग कर बलात्संग कारित किया ?

3. यदि अवधार्य प्रश्न प्रमाणन हो तो दोषसिद्धि एवं दंडादेश ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष**अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 :-**

7- अवधार्य प्रश्न क्रमांक 3 को छोड़कर पूर्ववर्ती अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 तथ्यों से परस्पर संबद्ध होने से एवं एक ही तथ्य के विशिष्टतः किसी विशिष्ट विधि के लागू होने अथवा लागू नहीं होने के तथ्य से संबद्ध होने से और साक्ष्य मूल्यांकन में सुविधा के दृष्टिकोण से एवं साक्ष्य का आकार नियंत्रित करने के प्रयोजन से अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण इस प्रक्रम पर किया जा रहा है।

8- सर्व प्रथम यह अवधारण किया जाये कि क्या प्रश्नगत घटना दिनांक को व्यथित “जिसके संबंध में अपराध कारित किये जाने विषयक अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण उद्भूत हुआ है” अवयस्क बालिका रही है ? उक्त तथ्य के संबंध में अभियोजन की ओर से व्यथित की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जो कि शासकीय विद्यालय अर्थात् शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर विकासखंड चंदेरी के प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदत्त किया गया है, उसमें व्यथित की जन्मतिथि दिनांक 16.07.2000 अंकित की गयी है।

9- व्यथित यद्यपि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित कराये गये कथन में अपना जन्म दिनांक 01 जनवरी 1998 होना अभिकथित करती है। व्यथित के मौखिक कथन तथा उसकी जन्मतिथि के संबंध में प्रदत्त विद्यालय के प्रमाण पत्र में उत्पन्न आयु का विरोधाभास अभियोगी सीताराम अ.सा.1 एवं प्रभाबाई अ.सा.2 जो कि व्यथित के माता पिता हैं, के कथन से इस रूप में स्पष्ट होता है कि व्यथित की आयु घटना के समय 16 वर्ष थी और स्वयं व्यथित भी अपने कथन में उसका जन्म दिनांक 16.07.2000 होना स्वीकार करती है।

10- प्रश्नगत घटना दिनांक 15.03.16 को कारित हुई घटना है तब स्पष्ट रूपेण व्यथित घटना दिनांक को 16 वर्ष की अवयस्क बालिका होना उक्त उपरिलिखित निष्कर्षाधीन बिना किसी संशय के प्रमाणन है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध विकल्पतः विरचित आरोप अंतर्गत **धारा 376''2'' भादवि प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

11- अब यह अवधार्य किया जाये कि, क्या अभियुक्त द्वारा व्यथित अवयस्क को वैध संरक्षकता से हटाया गया है और क्या उसके साथ एक से अधिक बार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है ?

12- पूर्ववर्ती निष्कर्षाधीन व्यथित का 16 वर्ष की अवस्क बालिका होना बिना किसी संशय के प्रमाणित है और जहां तक अभियुक्त द्वारा उसे वैध संरक्षकता से हटाकर उसका व्यवहरण कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है? स्वयं व्यथित के वैध संरक्षक अर्थात् उसके पिता एवं माता साक्षीगण सीताराम अ.सा.1 एवं प्रभाबाई अ.सा.2 के मुख्य परीक्षण के अभिकथन तथा सूचक प्रश्नों के उत्तर इस तथ्य को प्रमाणन नहीं करते हैं कि अभियुक्त ने अवयस्क को उसके संरक्षक की वैध संरक्षकता से हटाकर अवयस्क का व्यपहरण कारित किया था। स्वयं व्यथित अ.सा.3 भी अपने मुख्य परीक्षण में अपने माता-पिता को बताये बिना अपनी मर्जी से अपने मामा के घर "जिसका पता उसके कथन में अभिकथित किया गया है" चली जाना कथित करती है और सूचक प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य का कोई अभिकथन नहीं करती, कि अभियुक्त ने उसे बहलाया फुसलाया था या उसे भगाकर ले गया था। तब ऐसी स्थिति में व्यथित का व्यपहरण अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित किये जाने हेतु अभिलेख पर कोई विश्वसनीय, दृढ़, युक्तियुक्त साक्ष्य विद्यमान नहीं होकर अभियुक्त द्वारा व्यथित का व्यपहरण कारित किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किये जाने की साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। अस्तु अभियुक्त को **धारा 366 भादवि के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।**

13- अब यह अवधार्य किया जाये कि, क्या अभियुक्त ने व्यथित अवयस्क पर एक से अधिक बार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया है ? पूर्ववर्ती निष्कर्षाधीन, अभियुक्त द्वारा व्यथित अवयस्क का उसके वैध संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण कारित किया जाना प्रमाणन नहीं है। व्यथित के पिता-माता क्रमशः सीताराम अ.सा.1 एवं प्रभाबाई अ.सा.2 का अभिकथन भी इस तथ्य के विषयक नहीं है कि अभियुक्त ने व्यथित अवयस्क से संभोग कारित कर या एक से अधिक बार उससे संभोग कारित कर उस पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक द्वारा कोई हमला कारित किया था न ही व्यथित अवयस्क अ.सा.3 अपने कथन में ऐसा कोई तथ्य अभिकथित करती है कि अभियुक्त ने उस पर प्रश्नगत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक द्वारा कोई हमला कारित किया था। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप प्रमाणित नहीं होने से उक्त आरोप से भी अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।**

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 3 :-

14- जहां अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप प्रमाणित नहीं है, वहां अवधार्य प्रश्न क्रमांक 3 के अधीन कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

15- समेकित निष्कर्षानुसार अभियुक्त जीवन उर्फ जीवनलाल पुत्र देवलाल आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम मूढौन चौकी खोड़ थाना भौती जिला शिवपुरी (म.प्र.) को धारा 366, भादवि धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 376''2'' भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16- अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं अभियुक्त का बंधपत्र भारमुक्त किया जाता है।

17- प्रकरण में जप्तशुदा अभियुक्त एवं व्यथित अवयस्क निज वस्तुयें, जो कि अभियोग पत्र संलग्न जप्ती पंचनामा अनुसार पृथक-पृथक जप्त की गयी हैं, अपील अवधि पश्चात्, अपील न होने की दशा में विनष्ट कर दी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक- 22.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)